

राजस्थान लोक अदालत कैंप

शुद्धी

मुकदमा नम्बर

३२१२

वादी-

हनुमन्टिह पुत्र भावराजिह

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अर्न्तगत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम सुतोपपुरा पटवार हल्का शुद्धी तहसील कि रेनवाल
के आराजी खसरा नम्बर २५० रकबा ६-३

में वादी का नाम व विवरण

हनुमन्टिह पुत्र भावराजिह

के स्थान पर

हनुमन्टिह पुत्र भावराजिह आ भावराजिह

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजो के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं कैंप कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित हैं

अतः वादा का वाद डिकी किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
भाग उपलब्ध न. 250 रकम 6-12-85	भाग उपलब्ध न. 250 रकम 6-12-85
आगवट्टादि पुक भाधोकिह 180/5	आगवट्टादि पुक भाधोकिह 180/5
शेष कसहर आगवट्टी	शेष कसहर आगवट्टी



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावे।

on basis of TDR Report

07/5/18
सहायक कलेक्टर
सांभर लेक
MAD/18

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)